

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाशा सं० 194/36-3-2014-07(न्यू0वे०)/04, दिनांक: 28.01.2014 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवम् देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई, 2012 से दिसम्बर, 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 के औसत अंक 278 (दो सौ अठ्ठार) पर दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय होगा:-

दृष्टान्त :- रुपये 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 278 पर दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्न प्रकार देय होगा:-

(278-216)

$$\frac{216}{100} \times 5750 = \text{रु० 1252.50 प्रतिमाह}$$

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, मासिक एवम् दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् हैं:-

क्र०	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रुपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रुपये में)		दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक	
			दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक	दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक	कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750.00	1454.12	1650.46	7400.46	284.63
2	अर्द्ध कुशल	6325.00	1610.53	1815.51	8140.51	313.10
3	कुशल	7085.00	1804.05	2033.66	9118.66	350.72

नियोजनों के नाम :-

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिष्ठान उद्योग।
4. वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आर्येल पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलारों कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. वॉश तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन सामान्य राजस्वीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल (नर्सिंग होम्स) एवम् प्राइवेट क्लिनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
13. बलई घर।
14. धतु उद्योग।
15. टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. धर्म शोधनशाला और धर्म विनिर्माण शाला।
18. धर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी संकर्म।
20. निजी पुरतकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कौचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. धातु की (गारेस्ट्री) लुट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकान।
27. वाणिज्य अधिष्ठान।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण सक्रियाओं।
34. पत्थर लोडने या पत्थर कूटने।
35. चिनाई या कार्य।
36. दिव्यमलाई उद्योग।
37. आइसक्रीम/ आइस्क्रीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।

39. बर्फ विनिर्माणशाला।
40. एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
41. लापरूनी और घुलाई अधिष्ठान।
42. जिल्दसाजी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पाटरी, सिरेमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा छपाई।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
50. क्लब।
51. हथकरघा (सिल्क की साड़ी की बुनाई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
54. खाण्डसारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति चालित करघा उद्योग।
57. छोटा (मिनिएचर) बल्ब एवम् कौच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गत्ता और टैपर बोर्ड उद्योग।
59. ईट भट्ठा उद्योग।

(राम औतार श्रीवास)
उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं०- 471-500 / प्रवर्तन०-(एम०डब्लू०) / 15
प्रतिलिपि:-

दिनांक 27/03/2017

1. समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉर्गे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
2. अनुसचिव उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से।
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।
6. अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

(राम औतार श्रीवास)
उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्जा सं० 778/36-3-2011 दिनांक 18.08.2011 तथा शुद्धिपत्र विषयक अधिसूचना संख्या 1778/36-3-2011 दिनांक 03.10.2011 द्वारा कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में कॉच की चूड़ी उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 181 अंकों के ऊपर माह जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक के औसत 278 (दो सौ अठत्तर अंकों) पर दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय है :-

दृष्टान्त :- रूपयें 4300.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 278 पर दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :-

(278-181)

----- X 4300 = रू० 2304.42 प्रतिमाह

181

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् है :-

क्र०	श्रेणी	प्रतिमाह मजदूरी रू० में	परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रूपये में		दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक	
			दिनांक 01.10.2016 से 31.03.2017 तक	दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें (रूपये में)	दैनिक मजदूरी दरें (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	4300.00	2138.12	2304.42	6604.42	254.02
2	अर्द्ध कुशल	4900.00	2436.46	2625.97	7525.97	289.46
3	कुशल	5450.00	2709.94	2920.72	8370.72	321.95
4	तारवाला	11150.00	5544.20	5975.41	17125.41	658.67
5	बेलनिया	7800.00	3878.45	4180.11	11980.11	460.77
6	पर्यवेक्षक	7550.00	3754.14	4048.13	11596.13	446.00
7	मात्रानुपाती दरों के आधार पर चूड़ी जुड़ाई के कार्य में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरें दिनांक 01.10.2016 से 31.03.2017 की अवधि में रूपये 1950.00 प्रति 100 तोड़ा एवं दिनांक 01.04.2017 से 30.09.2017 की अवधि में रूपये 2000.00 प्रति 100 तोड़ा होगा।					

(राम औतार श्रीवास)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

436-57 कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं०-

/प्रवर्तन०-(म० भत्ता) /15

दिनांक

27/03/2017

2017

प्रतिलिपि :-

- समस्त क्षेत्रीय अपर /उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएँ।
- अनुसंधिय उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (तेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से।
- अधिसासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
- अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने तथा विभागीय osclkbv www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषितसमस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
- समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

(राम औतार श्रीवास)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत बीड़ी उद्योग के नियोजन में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं० 1139/36-1-13-11(सा०)/05 दिनांक 30.08.2013 तथा सपठित शुद्धि पत्र विषयक अधिसूचना सं० 1535/36-1-2013-11(सा०)/05, दिनांक- 21.11.2013 द्वारा बीड़ी उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मचारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गई हैं, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उपरोक्त अनुक्रम में बीड़ी उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को ग्रामीण श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1986-87=100) जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 676 अंको के ऊपर जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 के औसत 881 (आठ सौ इक्कासी) पर 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा :-

दृष्टान्त :- रुपये 4550.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 881 पर 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :-

(881-676)

X 4550 = ₹ 1379.81 प्रतिमाह

676

क्र०	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रुपये में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (रुपये में)		दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक	
			दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक	दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक	कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	4550.00	1225.00	1379.81	5929.81	228.07
2	अर्द्ध कुशल	5200.00	1400.00	1576.92	6776.92	260.65
3	कुशल	6200.00	1669.23	1860.18	8080.18	310.78

(राम अतार श्रीवास)
उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं०-
प्रतिनिधि:-

404-430 प्रवर्तन-0-(एम०डब्लू०) / 15

दिनांक 23-03-2017

- समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त, उ०प्र०, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराये तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉग जाने पर उपलब्ध कराएँ।
- अनुरागिण उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (विज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से।
- अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
- अपर श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।
- अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय oscikbV www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखाध्यक्ष प्रेषित।
- समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

(राम अतार श्रीवास)
उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत कालीन उद्योग के नियोजन में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं० 801/36-3-2013-79(न्यून वे०)/07 दिनांक 25.07.2013 द्वारा कालीन उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मचारों हेतु मजदूरी की मूल दरें एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में कालीन उद्योग के नियोजन में (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 181 अंको के ऊपर जनवरी, 2016 से जुलाई, 2016 से दिसम्बर, 2016 तक के औसत अंक 278 पर दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय है -

दृष्टान्त :- रुपये 4500.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 278 पर दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा:-

$$\frac{(278-181)}{181} \times 4500 = \text{रु० } 2411.60 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् हैं :-

क्र०	शासनादेश वर्ष 1995 के अनुसार श्रेणियाँ	वर्तमान में संशोधित श्रेणियाँ	प्रतिमाह मूल मजदूरी रुपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रुपये में		दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें (रुपये में)	दैनिक मजदूरी दरें (रुपये में)
				दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक	दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	अकुशल	4500.00	2237.57	2411.60	6911.60	265.83
2	अर्द्ध कुशल	अर्द्ध कुशल	5000.00	2486.19	2679.56	7679.56	295.37
3	कुशल-क	कुशल	5400.00	2685.08	2893.92	8293.92	319.00
4	कुशल-ख	कुशल	5300.00	2635.36	2840.33	8140.33	313.09
5	कुशल-ग	कुशल	5200.00	2585.63	2786.74	7986.74	307.18
6	अतिकुशल	कुशल	5500.00	2734.81	2947.51	8447.51	324.90
7	लिपिक-1	कुशल	5400.00	2685.08	2893.92	8293.92	319.00
8	लिपिक-2	कुशल	5100.00	2535.91	2733.15	7833.15	301.27

(राम अतीर श्रीवास)
उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

पत्र सं०- 458-70 / प्रवर्तन०-(एम०डब्ल्यू०) / 15
प्रतिलिपि:-

दिनांक 27/03/2017

- समस्त क्षेत्रीय अपर / उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करावे।
- श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मोंगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
- अनुसचिव उ०प्र० शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
- सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (विज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से।
- अधिकांसी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
- अपर श्रमायुक्त, (आई०आर०), मुख्यालय।
- अपर श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय osckbV www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
- समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

(राम अतीर श्रीवास)
उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।